प्रेस नोट दिनांक 22.06.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता – गंभीर अपराधों में वांछित 02 शातिर अपराधी अवैध असलहे व कार समेत गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में, थाना पट्टी पुलिस और स्पेशल टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने क्षेत्र में दहशत फैलाने और गंभीर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले 02 शातिर अभियुक्तों, कुशुशंकर मिश्रा उर्फ कुशु मिश्रा, विजय कुमार मिश्रा उर्फ छोटू को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

अभियुक्त कुशुशंकर मिश्रा उर्फ कुशु मिश्रा व विजय कुमार मिश्रा उर्फ छोटू की निशानदेही पर 02 अदद तमंचा .315 बोर तथा 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद-

अभियुक्त विजय कुमार मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा थाना पट्टी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु ₹10,000/- का पुरस्कार घोषित था।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रथम प्रकरण-

वादी शिव कुमार पाण्डेय पुत्र सदाशिव पाण्डेय निवासी ग्राम बिबियापुर औराइन, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आरोप लगाया गया कि दिनांक 25.01.2026 को रात्रि लगभग 08:40 बजे वह अपने परिवार के साथ घर के बरामदे में बैठे थे, तभी दो मोटरसाइकिलों से कुछ व्यक्ति उनके घर के सामने आकर आपस में विवाद करने लगे। वादी द्वारा उन्हें टोकने पर उक्त व्यक्तियों ने गाली-गलौज करते हुए कथित रूप से फायरिंग की तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। वादी ने आरोपितों में से एक व्यक्ति की पहचान मनीष यादव निवासी केतकरपुर, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ के रूप में की है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 27/26 धारा 3 (5)/288/352/351 (3)/109 (1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दित्तीय प्रकरण-

वादी निवासी ग्राम हर्रईपट्टी, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि दिनांक 25.03.2026 को वह अपने गांव के समीप स्थित लकड़ी की गुमटी में किराना दुकान पर बैठे थे, तभी दो मोटरसाइकिलों पर सवार लगभग 05 अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे और उनके भाई अमित के संबंध में पूछताछ करने लगे। वादी के अनुसार जानकारी न देने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा दुकान का सामान फेंककर नुकसान पहुंचाया गया तथा उसके भाई अमित को जान से मारने की धमकी देते हुए ₹10,000/- की मांग की गई। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग एकत्र होने लगे, जिस पर आरोपितगण गाली-गलौज करते हुए कथित रूप से

हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। वादी द्वारा अपने भाई अमित से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि सोशल मीडिया के एक ग्रुप में फोटो हटाने को लेकर ध्रुव तिवारी निवासी सौराई, थाना आसपुर देवसरा के साथ उसका विवाद हुआ था तथा वादी ने उक्त घटना में ध्रुव तिवारी एवं उसके साथियों की संलिप्तता की आशंका व्यक्त की है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 99/2026 धारा 191 (2)/191 (3)/190/324 (2)/308 (5)/352/351 (3)/288 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी के नेतृत्व में उ0नि0 प्रकाश राय, उ0नि0 अमित चौहान व उ0नि0 रोहित यादव, उ0नि0 सरनाम सिंह मय हमराह हे0का0 जुबैर खान, का0 हरिकेश पाल, रि0का0 संतोष यादव, का0 सोनू कुमार, का0 केहरी सिंह, रि0का0 गौरव कुमार द्वारा स्पेशल टीम प्रभारी उ0नि0 विजेन्द्र सिंह मय हमराह का0 माधवेश राय, का0 पियूष यादव व का0 आनन्द यादव के साथ देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन, तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर,

मु0अ0सं0 27/26 धारा 3(5)/288/352/351(3)/109 (1) बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त कुशुशंकर मिश्रा उर्फ कुशु मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्रा नि0 अकारीपुर तिवरान थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 38 वर्ष तथा मु0अ0सं0 27/26 धारा 3(5)/288/352/351(3)/109(1) बीएनएस व मु0अ0सं0 99/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/324(2)/308(5)/352/351(3)/288 बी0एन0एस0 से संबंधित अभियुक्त विजय कुमार मिश्रा उर्फ छोटू पुत्र सुनील कुमार मिश्रा नि०ग्राम सौराई थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतपागढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत बीबीपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से एक क्रेटा कार बरामद की गई, जिसे नियमानुसार धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया है। अभियुक्त कुशुशंकर मिश्रा उर्फ कुशु मिश्रा की निशानदेही पर उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर तथा 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 27/2026 में धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त विजय कुमार मिश्रा उर्फ छोटू की निशानदेही पर उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर तथा 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 99/26 में धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. कुशुशंकर मिश्रा उर्फ कुशु मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्रा नि0 अकारीपुर तिवरान थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 38 वर्ष।
02. विजय कुमार मिश्रा उर्फ छोटू पुत्र सुनील कुमार मिश्रा नि०ग्राम सौराई थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतपागढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

1- अभियुक्त विजय कुमार मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 108/2025 धारा 115(2)/352 बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(5क) एससी/एसटी एक्ट थाना आसपुर देवसरा,जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 110/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 27/2026 धारा 109(1)/115(2)/288/3(5)/353(3) बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 99/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/324(2)/308(5)/352/351(3)/288 बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

2- अभियुक्त कुशुशंकर मिश्रा उर्फ कुशु मिश्रा का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 415/2017 धारा 307,504 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 27/2026 धारा 109(1)/115(2)/288/3(5)/353(3) बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 213/2025 धारा 317(4), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़।

बरामदगी-
01 क्रेटा कार बरामद।
02 अदद तमंचा .315 बोर तथा 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 प्रकाश राय, उ0नि0 अमित चौहान व उ0नि0 रोहित यादव, उ0नि0 सरनाम सिंह मय हमराह हे0का0 जुबैर खान, का0 हरिकेश पाल, रि0का0 संतोष यादव, का0 सोनू कुमार, का0 केहरी सिंह, रि0का0 गौरव कुमार थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

स्पेशल टीम- स्पेशल टीम प्रभारी उ0नि0 विजेन्द्र सिंह मय हमराह का0 माधवेश राय, का0 पियूष यादव व का0 आनन्द यादव।